फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम संगरिया

अमन कुमार वगैरा बनाम तहसीलदार राजस्व संगरिया

किस्म मुकदमा :— 55 आरटीए, 131,136 एलआरएक्ट नम्बर 27 /2025

प्रार्थीगण— स्वंय अप्रार्थी

ख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम का तामील में जारी हुए
...०२६	प्रार्थीगण अमन कुमार पुत्र विनोद कुमार, चन्द्रशैला कड़वासरा पत्नि श्री सुरेश कुमार, मनुराजे कड़वासरा पुत्र श्री सुरेश कुमार बजरिये मुखत्यारे आम मनुराजे की माता चन्द्रशेला कड़वासरा पत्नि श्री सुरेश कुमार, विनोद कुमार पुत्र श्री राजाराम जाति जाट निवासी दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ स्वंय ने एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर चक 4 आरटीपी के खाता संख्या 7/2 जमाबन्दी सम्वत 2072—2075 एव चक 3 आरटीपी द्वितीय के खाता संख्या 101/104 जमाबन्दी सम्वत 2073—2076 में अपनी खातेदारी भूमि को सावर्जनिक रास्ता के लिये समर्पण करने हेतु निवेदन किये जाने पर उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार राजस्व संगरिया ने अपने पत्रांक एमआईएस 0122/11 दिनांक 05.01.2026 द्वारा प्रश्नगत भूमि पर स्थगन/विवाद आदि नही होना बतलाते हुए अपनी रिपोर्ट भिजवाई गई है। प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अतः उक्त प्रार्थना पत्र/दस्तावेजों का अवलोकन कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की शर्त 8 (2) के तहत स्वीकार कर चक 4 आरटीपी प. नं. 186/185 मु. नं. 6 में कि. नं. 25/2 में पूर्व में चालु रास्ता के चिपता पश्चिम में 13½×165=2227½ वर्गफुट अर्थात 0.0207 है. व चक 4 आरटीपी प. नं. 186/186 मु. नं.18 में कि.नं. 5/2 में पूर्व में चालु रास्ता के चिपता पश्चिम में 13½×165=2227½ वर्गफुट अर्थात 0.0207 है. एवं चक 4 आरटीपी प.नं. 186/186 मु. नं.18 में कि.नं. 6/2 में पूर्व में चालु रास्ता के चिपता पश्चिम में 13½ ×130=1755 वर्गफुट अर्थात 0.0165 है. इस प्रकार कुल 0.0579 है. तथा रास्ते के पूर्वी तरफ चक 3 आरटीपी द्वितीय प.न. ~~187/186 मु.न. 42~~ 187/185 मु.नं. 37 किला नं. 21 में 0.046 है. प.न. 187/186 मु.न. 42 किला नं. 1/0.046, 10/0.036 को सार्वजनिक रास्ता प्रार्थीगण की मांग अनुसार स्वीकृत किया जाता है। उक्तानुसार गै.मु. रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड में तहसीलदार संगरिया को दर्ज करने हेतु पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो। sd/-	
3/2/26	प्रार्थी अमन कड़वासरा द्वारा प्रा० पत्र पेश ~~करने पर~~ कर निवेदन किया कि दिनांक 19.1.26 को जारी आदेश की पंक्ति सं. 19 में प. नं. 187/186 मु.नं. 42 की जगह प. नं. 187/185 मु.नं. 37 शुद्ध किया जावे। प्रार्थना पत्र तर्कसंगत होने के कारण न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। मूल आदेश में उक्तानुसार दुरुस्ती ~~की~~ की जाकर पत्रावली पुनः दाखिल दफ्तर हो। sd/-	